

# एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक गलियारों का रास्ता साफ यूपीडा को 3000 करोड़ ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय

राबू लखनऊ : प्रदेश में निर्मित व निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के दोनों तरफ चिह्नित स्थानों पर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए उग्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि अर्थव्यवस्था को गति देने



के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के दोनों तरफ चिह्नित स्थानों पर औद्योगिक गलियारे विकसित करने का निर्णय किया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहीत करने की जिम्मेदारी यूपीडा को सौंपी गई है, लेकिन उसके पास इसके लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव है। इस समस्या से निपटने के लिए यूपीडा को 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने

## कैबिनेट के निर्णय



### गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जीएसटी का अतिरिक्त खर्च यूपीडा वहन करेगा

कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया है कि केंद्र सरकार की ओर से निर्माण कार्यों पर जीएसटी की दर बढ़ाए जाने के कारण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विकासकर्ताओं पर परियोजना की 30 वर्ष की कन्सेशन अवधि के दौरान पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार को यूपीडा वहन करेगा। इसके लिए यूपीडा को बजट के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

का कैबिनेट ने निर्णय किया है। इन औद्योगिक गलियारों में मुख्य रूप से वेयरहाउसिंग और लाजिस्टिक्स से जुड़े उद्योगों की स्थापना को वरीयता दी जाएगी। औद्योगिक गलियारों की स्थापना से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और विकास को गति मिलेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं को राहत : कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 व 2 के निर्माणकर्ताओं को राहत देते हुए परियोजना के निर्माण के लिए उनके साथ हुए अनुबंध के शेड्यूल-एच (कांट्रैक्ट प्राइज

## अन्य फैसले

- ललितपुर में फार्मा पार्क के लिए मिलेगी 1472 एकड़ जमीन
- फतेहपुर में 293 करोड़ की सीवरेज व सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना मंजूर
- शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन वि. के संचालन को हरी झंडी
- ईट व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले पट्टाधारक दो मीटर तक की मिट्टी की खोदाई मशीन से कर सकेंगे। यह खनन संहिता के दायरे में नहीं आएगी
- सहारनपुर व हाथरस में निकायों की जमीन पर बनेंगे पुस्तकालय व छात्रावास
- सहकारी मिलों की सीसी लिमिटेड के लिए बैंक गारंटी को मंजूरी
- मथुरा में तरल आक्सीजन इकाई की स्थापना के लिए समयसीमा 15 मई 2024 तक बढ़ाई गई

वेटेज) में 31 मार्च 2023 तक दी गई राहत को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने यह निर्णय कोरोना महामारी के दृष्टिगत ठेकेदारों के समक्ष कैशफ्लो की समस्या के दृष्टिगत उनके अनुरोध पर किया है।